पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 4734 / अका. / का.प. / 2006 रायपुर, दिनांक 07.04.2006

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक शनिवार, दिनांक २५.३.२००६ को अपरान्ह् ३.०० बजे कुलपति कक्ष में आयोजित की गई। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे-

1.	डॉ लक्ष्मणं चतुर्वेदी, कुलपति	अध्यक्ष
2.	डॉ ओ.पी.वर्मा, कुलाधिसचिव	सदस्य
3.	डॉ हर्षवर्धन तिवारी	सदस्य
4.	डॉ एम.ए.खान	सदस्य
5.	डॉ शशिभूषण	सदस्य
6.	डॉ डी.डी.वर्मा	सदस्य
7.	डॉ एच.आर.शर्मा	सदस्य
8.	डॉ ए.के.बंसल	सदस्य
9.	डॉ जी.डी.साव	सदस्य
10.	डॉ जी.बी.गुप्ता	सदस्य
11.	श्री रमेश नैयर	सदस्य
12.	डॉ आर.के.गुप्ता	सदस्य
13.	श्री राहुल महावार	सदस्य
14.	डॉ युगल भारती	सदस्य
15.	श्री के.के.चंद्राकर, कुलसचिव	सचिव

कुलपति जी के द्वारा कार्यपरिषद के नव-मनोनीत सदस्यों के स्वागत के पश्चात् बैठक प्रारंभ हुई।

कार्यवृत्त

1. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 10 एवं 15 दिसम्बर, 2005, आपात बैठक दिनांक 30 जनवरी, 2006 तथा 8 फरवरी, 2006 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 10 एवं 15 दिसम्बर, 2005 के कार्यवृत्त को निम्नलिखित संशोधन के साथ संपुष्टि की गई--कार्यवृत्त के विषय क्रमांक १ में सदस्यों के पूछने पर जानकारी दी गई कि प्रकरण हेतु जाँच समिति गठित की गई है। सदस्यों को अवगत कराया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम समाप्ति का कृत्य अपास्त नहीं किया गया है क्योंकि वह विवाद का विषय नहीं था। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा इस आधार पर निरस्त किया गया है क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर वैसा कार्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा विधि के अंतर्गत प्रारंभ ही नहीं किया जा सकता था। परीक्षा परिणाम घोषित करने का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि इस कार्यक्रम का प्रारंभ और उसके तहत परीक्षा लेना ही विधि के अनसार अनुज्ञेय नहीं था। परीक्षा परिणाम घोषित करने का आदेश भी नहीं है जबकि वैसा अनुतोष याचिकाओं में चाहा गया था। अतः परिणाम घोषित करना न तो आवश्यक है न ही उचित है और न ही अनुज्ञेय है। विषय क्रमांक ३ पर डॉ तिवारी को संबंधित अभिलेखों का अवलोकन कुलाधिसचिव/ कुलसचिव के कक्ष में कराया जावे। विषय क्रमांक १४ पर डॉ तिवारी को संबंधित अभिलेखों का अवलोकन कुलाधिसचिव/ कुलसचिव के कक्ष में कराया जावे। विषय क्रमांक २७ में यह वाक्य विलोपित किया जावे इसकी सूचना शासन को भेजकर स्वीकृति ली जावे।

कार्यपरिषद की आपात बैठक दिनांक ३० जनवरी २००६ के कार्यवृत्त की संपुष्टि की गई।

कार्यपरिषद की बैठक ८ फरवरी २००६ की संपुष्टि निम्नलिखित संशोधन के साथ की गई। विषय क्रमांक २ में डॉ तिवारी द्वारा प्रस्तावित सुझावों के कुछ बिंदुओं का पालन किया गया। कुछ बिंदुओं का जिसका पालन नहीं किया गया है उसका पालन आगामी वार्षिक प्रतिवेदन के निर्माण के पूर्व किया जावे।

2. विश्वविद्यालय स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.01.2006 में संलग्न 17 महाविद्यालयों को अस्थायी सम्बद्धता देने के सम्बन्ध में की गई अनुशंसा को माननीय कुलपति जी ने विश्वविद्यालय अधिनियम 15(4) के प्रावधानानुसार अनुमोदन प्रदान किया, की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर में बी.डी.एस.भाग तीन के लिये छात्र संख्या ३० एवं आ.प.गृ.मुनामसाहेब शास.महाविद्यालय कवर्धा में बी.सी.एस.भाग तीन, बी.एस.सी भाग तीन (कम्प्यूटर साइंस) बी.काम.भाग-तीन (कम्प्यूटर एप्ली.) के लिये छात्र संख्या ३० अंकित किया जाकर सूचना ग्रहण की गई।

3. विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा 2006 की उत्तर–पुस्तिका निर्माण हेतु क्रय किये गये कागज का मूल्य रू. 25,93,728/– के भुगतान की सूचना ग्रहण करने बाबत ।

निर्णय सूचना ग्रहण की गई। डॉ गुप्ता ने ध्यान में लाया कि भौतिक सत्यापान चार्टड एकाउंटेट से कराया जाय। कुलपति जी ने अवगत कराया कि भौतिक सत्यापन समिति से कराया गया है। डॉ एच.व्ही.तिवारी ने पिछले तीन वर्षों में उत्तरपुस्तिका निर्माण हेतु कागजों पर किये गये व्यय की जानकारी चाहिये। अध्यक्ष ने उन्हें जानकारी से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया।

4. विश्वविद्यालय के अधिकारियों/शिक्षकों/कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2006 से मंहगाई भत्ता भुगतान करने की सूचना ग्रहण करने बाबत ।

निर्णय सूचना ग्रहण की गई।

5. विकास विभाग की इंप्रेस्ट राशि रू. 2000/– से बढ़ाकर रू. 5000/– करने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय विकास विभाग की इंप्रेस्ट राशि रू. 2000/– से बढ़ाकर रू. 5000/– करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

6. विश्वविद्यालय परीक्षाओं में नकल रोकने हेतु गठित उड़नदस्ते के सदस्यों को वर्तमान में मिल रहे पारिश्रमिक में वृद्धि करने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय विश्वविद्यालय परीक्षाओं में नकल रोकने हेतु गठित उड़नदस्ते के सदस्यों को वर्तमान में मिल रहे पारिश्रमिक में वृद्धि कर एक पाली रू. 75/–, तीन या अधिक परीक्षा केन्द्र के निरीक्षण हेतु रू. 200/– प्रदान करने को अनुमोदित की गई। शहर के बाहर के महाविद्यालयों में निरीक्षण हेतु दैनिक भत्ता राज्य शासन के नियम के तहत् प्रदान की जावे।

7. विश्वविद्यालय विनियम कमांक 29 के अंतर्गत गठित ग्रंथालय समिति की बैठक दिनांक 07.11.2005 एवं 19.01.2006 में की गई अनुशंसा को कार्यपरिषद के अनुमोदन हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय सर्वसम्मति से ग्रंथालय समिति की बैठक दिनांक 07.11.2005 एवं 19.01.2006 में की गई अनुशंसा को अनुमोदित की गई।

8. शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, टिकरापारा, रायपुर को बी.एस–सी. प्रथम वर्ष (बेसिक) सत्र 2004–05 से अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने की सूचना ग्रहण करना । प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना ग्रहण करने हेतु प्रस्तुत ।

निर्णय सूचना ग्रहण की गई।

9. श्री गहिरा गुरू संस्कृत पूर्व माध्यमिक विद्यालय, लैलूंगा, जिला–रायगढ़ एवं अन्य संस्कृत विद्यालयों के प्रतिवर्ष संबद्धता एवं सम्बद्धता वृद्धि शुल्क निर्धारण करने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संस्कृत भाषा के अध्ययन के प्रोत्साहन हेतु संस्कृत पाठशालाओं से संबंधित संस्थाओं को संबद्धता शुल्क एवं प्रतिवर्ष जमा किये जाने वाली संबद्धता शुल्क में छूट प्रदान की अनुमति दी गई।

10. शिक्षक कल्याण कोष समिति की बैठक दिनांक 19.12.2005 की अनुशंसानुसार अध्यादेश क्रमांक 41 (शिक्षक कल्याण कोष) की कंडिका 7 का विलोप कर नया संशोधित प्रस्ताव समाहित करने के सम्बन्ध में विचार करना ।

निर्णय कार्यपरिषद की आगामी बैठक में रखा जावे।

11. श्री छगनलाल जांगड़े, आत्मज स्व. श्री नरेश कुमार जांगड़े को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में विचार करना ।

निर्णय कार्यपरिषद की आगामी बैठक में रखा जावे।

12. साहित्य एवं भाषा विज्ञान अध्ययन शाला में अध्यापन कार्य में सहयोग प्रदान करने हेतु आदेश क्रमांक 1164 / सा.प्रशा. / 2005, दिनांक 25.05.2005 के कारण 8 शिक्षकों को मानदेय के आधार पर रू. 100 / – प्रति व्याख्यान और रू. 25 / – प्रतिदिन यातायात भत्ता अधिकतम रू. 4500 / – की दर पर 8 शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है । कुलपति के अनुमोदन से शिक्षकों का मानदेय भुगतान किया जा रहा है । प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना कार्यपरिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।

निर्णय अनुमोदित की गई।

13. विश्वविद्यालय में स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों के अंतर्गत संचालित करने हेतु विभिन्न अध्ययन शालाओं के लिए Corpus Fund की स्थापना की गयी । Corpus Fund से संबंधित अध्यादेश के परीक्षण हेतु गठित समिति के सदस्य प्रो. एम.ए. खान द्वारा दिनांक 01.01.2006 को परीक्षण कर Corpus Fund की आवश्यकता प्रतिपादित की । प्रकरण कार्यपरिषद में विचारार्थ प्रस्तुत ।

निर्णय कार्यपरिषद की आगामी बैठक में रखा जावे।

14. मेसर्स स्वराज हेंडमेड पेपर्स, कालपी के देयक क्र. 309, दिनांक 16.03.2001 रू. 30,000 / – के भुगतान स्वीकृति बाबत ।

निर्णय पेपर्स की गुणवतता सही नहीं होने के बावजूद इसका उपयोग क्यों किया गया, यह जांच का विषय है। इस हेतु जाँच समिति गठित की जावे तथा जांच के बाद दोषी के प्रति आवश्यक कार्यवाही किया जावे। फर्म के द्वारा प्रस्तुत देयक रू.३०,०००/- का भुगतान नहीं किया जावे।

15. विश्वविद्यालय में वर्तमान में 12 वाहन हैं । परीक्षा एवं गोपनीय कार्य तथा पूरे वर्षभर विश्वविद्यालय के अन्य कार्यों के संचालन हेतु वाहन की आवश्यकता पड़ती रहती है । विश्वविद्यालय वाहन प्रकोष्ठ के कार्यों के लिए वाहनों के रख–रखाव एवं ईंधन हेतु पृथक–पृथक 10–10 हजार रूपये इंप्रेस्ट राशि स्वीकृत है जिसे बढ़ाकर पृथक–पृथक 20–20 हजार रूपये स्वीकृत करने का प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।

निर्णय अनुमोदित की गई। यह निर्देश दिया गया कि पेट्रोल पंप विश्वविद्यालय के समीप हो। साथ ही वाहनों के रख-रखाव के लिये गैरेज सुनिश्चित किया जावे।

16. सम्पूर्ण ग्रंथागार में केन्द्रीयकृत जनरेटर लगाये जाने हेतु रू. 5,90,153/– (रूपये पांच लाख नब्बे हजार एक सौ तिरपन मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय स्वीकृति प्रदान की गई।

17. गोपनीय विभाग में कम्प्यूटर सेंटर की स्थापना की गई है । इस सेंटर को विभागीय इम्प्रेस्ट की राशि रू. 3,000/– स्वीकृत करने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय स्वीकृति प्रदान की गई।

18. विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस (विश्राम गृह) के कमरों के किराये में निम्नलिखित प्रस्तावित दर के अनुसार वृद्धि करने बाबत विचार करना ।

क्र.	रूम	वर्तमान दर	प्रस्तावित दर
1.	सामान्य Non A.C. विश्वविद्यालय कार्यो से आए व्यक्तियों के लिए	35.00	50.00
2.	सामान्य Non A.C. बाहरी कार्यों से आए व्यक्तियों के लिए (कमरे रिक्त होने पर ही)	100.00	150.00
3.	A.C. Room विश्वविद्यालय कार्यों से आए व्यक्तियों के लिए	–	200.00
4.	A.C. Room बाहरी कार्यों से आए व्यक्तियों के लिए (कमरे रिक्त होने पर ही)	–	300.00

निर्णय प्रस्तावित दर स्वीकृत किया गया।

19. विश्वविद्यालयय विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.03.2006 के कार्यवृत्त में की गई अनुशंसा को अनुमोदन प्रदान करने बाबत ।

निर्णय अनुमोदित की गई।

20. विश्वविद्यालय के पुराने निम्नलिखित वाहनों को नीलाम/विक्रय करने के सम्बन्ध में विचार करना –

क्र.	वाहन	विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मूल्य (रूपये)	निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अधिकतम मूल्य (रूपये)
1.	जीप CG 042D/0196	80,000/–	35,000/–
2.	एनी कार 1996 CG 042D/0195	75,000/–	20,000/–
3.	ट्रेक्स 1998 CG 042D/0802	1,00,000/–	55,000/–
4.	कार एम्बेसेडर 1998 CG 042D/0197	75,000/–	25,000/–

निर्णय निविदाकर्त्ताओं द्वारा प्रस्तुत अधिकतम मूल्य को न्यूनतम मूल्य रखकर खुली निविदा आमंत्रित की जावे।

21. कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी अध्ययन शाला में स्थापित दूरभाष के प्रतिमाह दूरभाष देयक भुगतान की निर्धारित अधिकतम सीमा रू. 1500/– को शिथिल करने के सम्बन्ध में विचार करना।

निर्णय दूरभाष के प्रतिमाह दूरभाष देयक भुगतान की अधिकतम सीमा रू.२०२१/- निर्धारित की गई।

22. अध्यापक शिक्षा संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की विभागीय इंप्रेस्ट राशि रू. 2000/– में वृद्धि करने के सम्बन्ध में विचार करना ।

निर्णय कार्यपरिषद की आगामी बैठक में रखी जावे।

23 श्री प्रमोद वर्मा को विश्वविद्यालय का स्थायी अधिवक्ता नियुक्त करने एवं उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं तथा शर्तों के सम्बन्ध में विचार करना ।

निर्णय विश्वविद्यालय का स्थायी अधिवक्त नियुक्त करने के लिये तीन या तीन से अधिक अधिवक्ताओं का पैनल तैयार कर कार्यपरिषद में प्रस्तुत किया जावे।

24. विश्वविद्यालय विज्ञान भवन के भौतिकी अध्ययन शाला में Dome स्थापित करने पर होने वाले व्यय की 50 प्रतिशत राशि रू. 5,52,48.50 को संबंधित फर्म को अग्रिम भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में विचार करना ।

निर्णय स्वीकृति दी गई।

25. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय परिसर से जुड़े 36.8 हेक्टेयर जमीन भू–अर्जन के लिए प्राप्त राशि रू.5,82,81,415/- एवं विश्वविद्यालय की बजट में प्रस्तावित राशि रू. 80.00 लाख का भुगतान कार्यपरिषद की ओर से कुलपति की स्वीकृति के बाद भू–अर्जन अधिकारी को प्रदान करने की सूचना ग्रहण करना ।

निर्णय सूचना ग्रहण की गई।

26. विश्वविद्यालय तकनीकी संस्थान को शासन के अधीन करने के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना ।

निर्णय सूचना ग्रहण की गई।

पूरक विषय

२७. वार्षिक परीक्षा २००६ के अंतर्गत दिनांक ६.३.२००६ एवं ८.३.२००६ को बी.काम भाग तीन एवं बी.काम.भाग प्रथम के आधार पाठ्यक्रम-हिन्दी भाषा का प्रश्न पत्र लीक होने एवं प्रकरण पर की गई कार्यवाही की सूचना विषयक।

निर्णय प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में कुलपति द्वारा द्वि-स्तरीय जांच कराने के निर्णय की एवं इस कार्यवाही के कारण पर्चे लीक से संबंधित व्यक्तियों के गिरफ्तारी एवं आगे की जांच की कार्यवाही सी.आई.डी. द्वारा जारी रखने की सूचना ग्रहण की गई। पूरे कार्यपरिषद द्वारा इस घटना के संबंध में कुलपति जी के निर्णय एवं घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने के त्वरित उपाय किये जाने हेतु उन्हें बधाई दिया। कुलपति ने कार्यपरिषद सदस्यों को अवगत कराया कि एक परीक्षा केंद्र के सहायक केंद्राध्यक्ष ने विश्वविद्यालय द्वारा वहाँ पर नियुक्त पर्यवेक्षक को धमकी भरे शब्दों में कहा कि या तो कुलपति को मार दिया जायेगा या पद से हटवा दिया जायेगा। कुलपति ने यह भी जानकारी दी कि उन्हें धमकी भरे फोन आ रहे हैं। कार्यपरिषद की ओर से डॉ जी.बी.गुप्ता, कार्यपरिषद सदस्य ने प्रस्ताव रखा- यह गंभीर प्रकरण है तथा शासन का दायित्व है कि कुलपति की सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था करें। कुलपति जी की सुरक्षा व्यवस्था के लिये सचिव, छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग एवं पुलिस महानिरीक्षक को पत्र लिखा जावे जिसे कार्यपरिषद ने सर्वसम्मति से पारित किया।

२८. श्री आर.पी.वर्मा, सेवानिवृत उपसंचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी अवर सचिव,पंचायत एवं ग्रामीण विकास) को विश्वविद्यालय में विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी = पद पर संविदा नियुक्ति करने विषयक।

निर्णय श्री आर.पी.वर्मा को विश्वविद्यालय में संविदा आधार पर दिनांक : ४.२००६ से एक वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

अध्यक्ष की अनुमति से विषय

29. श्रीमती सुनीता पात्रा, शोधछात्रा–बॉटनी, के शोध प्रबंध मूल्यांकन हेतु किन्हीं दो परीक्षकों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में विचार करना ।

निर्णय १. विश्वविद्यालय के बायोसाइंस अध्ययन शाला शोध केंद्र देते हुये शोध जमा करने की अनुमति प्रदान किया गया एवं २. प्रकरण की विस्तृत जांच हेतु जांच समिति गठित किया जावे तथा दोषी पर दण्डात्मक कार्यवाही किया जावे।

30. विदेशी शोध पत्रिकाओं की चंदा (Subscription) राशि रू. 18,47,040.70 भेजने हेतु कार्यपरिषद की स्वीकृति बाबत ।

निर्णय डॉ एच.व्ही.तिवारी ने इस प्रकार के क्रय में संस्थाओं द्वारा रिबेट प्राप्त होने की जानकारी दी। अतः यदि विक्रेता संस्थाओं द्वारा छूट का प्रावधान है तो छूट का लाभ लेते हुये क्रय की कार्यवाही करने हेतु अनुमोदन किया गया।

31. वार्षिक परीक्षा 2006 का परीक्षा परिणाम तैयार करने मेसर्स ओम्नाल डाटा, इंदौर से अनुबंध होने की सूचना कार्यपरिषद में अनुमोदनार्थ ।

निर्णय अनुमोदित की गई।

३२. विश्वविद्यालय के निम्न मदों से क्रय किये गये वाहनों का भुगतान अंकेक्षण द्वारा पारित न किये जाने की स्थिति में सीधे भुगतान की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय कार्यपरिषद सदस्यों को बजट प्रावधान होने की सूचना दी गई। प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना ग्रहण किया गया।

३३. कार्यपरिषद के सदस्यों द्वारा चाही गई जानकारी के संदर्भ में अन्य निर्णय निम्नानुसार लिये गये-

१. डॉ हर्षवर्धन तिवारी ने जानकारी दी कि दीक्षांत समारोह का citation कार्यपरिषद के द्वारा अनुमोदित किया जाता है। द्वादश दीक्षांत समारोह के citation में गल्तियाँ थी अतः इसका परीक्षण कराया जावे।

2. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी बनाने के संबंध में शासन के नियमों का अवलोकन कराया जावे। साथ ही विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी की नियुक्ति संबंधी विनियम बनाया जावे।

3. सेट-अप स्वीकृति के बाद कार्यपरिषद में प्रस्तुत किया जावे।

4. पाठ्यक्रमों को संबद्धता प्रदान करने के पूर्व प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में सीट के निर्धारण में निर्धारित मापदण्ड का ध्यान रखा जावे।

5. कागज क्रय में हुये व्यय का पिछले वर्ष में हुये व्यय से कितना अंतर है।

6. भविष्य में कागज क्रय के लिये प्रकाशित किये जाने वाले निविदा में तुरन्त भुगतान की कंडिका का उल्लेख आवश्यक हो।

7. ग्रंथालय के आधुनिकीकरण में ई-जर्नल, ई-बुक से संबंधित प्रस्ताव ग्रंथालय समिति में प्रस्तुत की जावे।

8. विश्वविद्यालय अध्ययन शाला में सेमेस्टर पद्धति लागू करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जावे।

धन्यवाद-ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलपति

कुलसचिव

पृ.कमांक : 4735 / अका. / का.प. / 2006

रायपुर, दिनांक : 04.04.2006 ~~..03.2006~~

प्रतिलिपि :-

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर ।
2. कार्य परिषद के समस्त सदस्यों को ।
3. जनसंपर्क अधिकारी / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. वित्ताधिकारी / आवासीय अंकेक्षक,
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

कुलसचिव